अध्याय 8

प्रकीर्ण

1873 के अधिनियम 5 का संशोधन ।

106. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 3 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(ख) "सरकारी बचत बैंक" से,—

(i) कोई डाकघर बचत बैंक ; या

(ii) कोई बैंककारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी या संस्था, जिसे केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

अभिप्रेत है ;

(खख) "सचिव" से,—

(i) किसी डाकघर बचत बैंक की दशा में, उस क्षेत्र के लिए, जिसमें डाकघर बचत बैंक स्थित है, नियुक्त महा डाकपाल या सरकार का ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ; और

(ii) किसी बैंककारी कंपनी या अन्य कंपनी या संस्था की दशा में, सरकार का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

अभिप्रेत है ;'।

1899 के अधिनियम 2 का संशोधन ।

107. भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में,—

(i) धारा 2 के खंड (25) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(26) "स्टांप" से कोई चिह्न, मुद्रा या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए कोई आसंजक या छापित स्टांप भी है ।';

(ii) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "निगम निकाय द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "बीमा की पालिसियों और" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) अनुसूची 1 के अनुच्छेद 53 के पहले स्तंभ में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

108. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 में,— 1956 का 74

(क) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई भी कर किसी व्यौहारी द्वारा, ऐसे व्यौहारी द्वारा किए गए किसी ऐसे माल के विक्रय की बाबत संदेय नहीं होगा, जो अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को, किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित किसी एकक की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण, विनिर्माण, व्यापार,

उत्पादन, प्रसंस्करण, समंजन, मरम्मत, पुनः अनुकूलन, पुनः इंजीनियरी, पैकेजिंग के प्रयोग के लिए या पैकिंग सामग्री या पैकिंग उपसाधनों के रूप में उपयोग के लिए या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए हो, यदि ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसा एकक स्थापित करने या ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"।

(ख) उपधारा (8) में, "उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को" शब्दों, कोष्ठक और अंक से प्रारंभ होने वाले और "एक घोषणा नहीं दे देता है ।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपधारा (4) के अधीन विहित प्राधिकारी को, उपधारा (6) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त किए गए विहित प्ररूप पर विहित रीति में, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे ऐसा माल विक्रय किया गया है, सम्यकत्: भरी गई और हस्ताक्षरित एक घोषणा नहीं दे देता है ।"।

1956 का 74
2001 का 41
2003 का 32

अध्याय 6 का संशोधन ।

109. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अध्याय 6 में, केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के लिए यथानिदेशित और जैसा वह वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित है, केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ से,—

(क) धारा 19 की उपधारा (1) में, "धारा 6क या धारा 9" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 9 के साथ पठित धारा 6क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 20 की उपधारा (1) में, "धारा 6क या धारा 9" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 9 के साथ पठित धारा 6क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 21 की उपधारा (3) के पहले परंतुक में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) प्राधिकरण, उस निर्धारण प्राधिकारी के, जिसके विरुद्ध उसके समक्ष अपील फाइल की गई है, आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकेगा या अपील को ग्रहण करने से पूर्व कर के पूर्व निक्षेप का आदेश दे सकेगा और यदि निर्धारिती ने संबंधित राज्य की साधारण विक्रय-कर विधियों के अधीन कर का पूर्व निक्षेप पहले ही कर दिया है तो प्राधिकरण ऐसी रोक लगाते समय या कर के पूर्व निक्षेप का ऐसा आदेश करते समय उस पूर्व निक्षेप का ध्यान रखेगा ।";

(ङ) धारा 25 में "प्रत्येक अपील" शब्दों के स्थान पर, "कोई कार्यवाही" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) धारा 26 में, "निर्धारण प्राधिकारियों" शब्दों के स्थान पर, "संबंधित प्रत्येक राज्य सरकार, निर्धारण प्राधिकारियों" शब्द रखे जाएंगे ।

2004 के अधिनियम 39 की धारा 4 का संशोधन ।

110. राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 4 में, "31 मार्च, 2008" अंकों और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "31 मार्च, 2009" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

2004 के अधिनियम 13 की धारा 2 का निरसन ।

111. वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 2 इसके द्वारा निरसित की जाती है और यह समझा जाएगा कि यह कभी अधिनियमित नहीं की गई थी ।

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 83, खण्ड 84 के साथ पठित खण्ड 68, खण्ड 76, खण्ड 79 और खण्ड 81 के (कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर को अपवर्जित करते हुए) उपबंधों का अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभाव होंगे ।